

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

108 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

16.10.2023

23.05.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री अजय राज सिंह शेखावत पुत्र श्री बहादुर सिंह शेखावत निवासी मीणों का मोहल्ला
ग्राम मण्डालिया पोस्ट सूथडा तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स टॉउन मार्ट भव्य
पैलेस के पास वनस्थली मेन गेट के बाहर वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक।
पिनकोड—304021 मोबाईल नं. 9376342054

2—श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र श्री कैलाश सिंह निवासी प्रोपरायटर मैसर्स टॉउन मार्ट भव्य
पैलेस के पास वनस्थली मेन गेट के बाहर वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक।
पिनकोड—304021

3—मैसर्स टॉउन मार्ट भव्य पैलेस के पास वनस्थली मेन गेट के बाहर वनस्थली तह. निवाई
जिला टोंक। पिनकोड—304001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा
26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके अभिभाषक श्री लादूलाल यादव उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 23.05.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 25.05.2023 को समय 02:20 पीएम पर मैसर्स टॉउन मार्ट भव्य पैलेस के पास
वनस्थली मेन गेट के बाहर वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री अजय
राज सिंह शेखावत पुत्र श्री बहादुर सिंह शेखावत अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का
कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री
अजय राज सिंह शेखावत ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/प्रबंधक होना बताया तथा खाद्य
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र
श्री कैलाश सिंह को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैंक में लगभग



2010

.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

10-12 पैकेट मूल पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 किलोग्राम पैक काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अजय राज सिंह शेखावत को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अजय राज सिंह शेखावत व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 1-1 किलोग्राम के कुल 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) 1-1 किलोग्राम के कुल 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3645 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3645 नीचे से ऊपर तक, गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अजय राज सिंह शेखावत ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा परन्तु विक्रेता ने कोई बिल पेश नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/703 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2184/एक्ट/2023/2323 दिनांक 19.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का



होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं मय अभिभाषक श्री लादूलाल यादव उपस्थित हुए। अभिभाषक ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा निर्माता फर्म से लेकर उसी अवस्था में विक्रय किया है परन्तु वारन्टी बिल नहीं लिया। इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित हैं तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया काला नमक (श्री हरि ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
न्याय मजिस्ट्रेट (अधीनस्थ)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0